

विवाह

Marriage

परिवार बसाने के लिये दो या अधिक स्त्री-पुरुष में आवश्यक सम्बन्ध (जिममें यौन-सम्बन्ध भी सम्मिलित है) स्थापित करने और उसे स्थिर रखने की कोई न कोई मस्थात्मक व्यवस्था या तरीका प्रत्येक समाज में पाया जाता है जिसे कि विवाह कहते हैं। विवाह प्रत्येक समाज, चाहे वह आदिम समाज हो या सभ्य समाज, की संस्कृति का एक आवश्यक अंग होता है क्योंकि यह वह साधन है जिसके आधार पर समाज की प्रारम्भिक इकाई परिवार का निर्माण होता है। प्रत्येक स्वाभाविक जीवन के लिये इसी कारण विवाह एक सामान्य (general) तथा स्वाभाविक घटना है और शायद इसीलिये यह अति प्राचीन जनजातियों से लेकर अति आधुनिक समाजों, सभी में किसी न किसी रूप में पाया जाता है। विवाह अण्डमान प्रायद्वीप या आस्ट्रेलिया की जनजातियों में जितना लोकप्रिय है, उतना ही न्यूयार्क के निवासियों में भी। हिन्दू समाज में तो विवाह का महत्त्व और भी अधिक है क्योंकि हिन्दू-विवाह गृहस्थाश्रम का प्रवेश-द्वार है। मनु ने स्वीकार किया कि जैसे सब पशु वायु के महारे जीते हैं, वैसे ही सब प्राणी गृहस्थाश्रम से जीवन धारण करते हैं। व्यास-स्मृति में गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जितेन्द्रिय होकर गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले को घर में ही कुक्षेत्र, हरिद्वार, केदार-वद्रीनाथ आदि का तीर्थ मिल सकता है, जिनकी यात्रा कर वह सब पापों से मुक्त हो सकता है। महाभारत में तो यहाँ तक उल्लेख है कि अविवाहित कन्या को कभी भी, चाहे कितनी ही तपस्या का बल या पुण्य सचय क्यों न हो, स्वर्ग नहीं मिलता।

कुछ भी हो, इतना अवश्य कहा जा सकता है कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त तरीके से स्त्री-पुरुष की यौन-सम्बन्धी आवश्यकता की पूर्ति करने, उसे एक निश्चित ढंग से नियंत्रित करने तथा स्थिर रखने और परिवार को स्थायी रूप देने के लिये विवाह की संस्था का जन्म हुआ है। विवाह वह आधार है जो घर बसाता है और बच्चों के पालन-पोषण तथा आर्थिक सहकारिता व सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव को बनाता है। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से विवाह की आवश्यकता यौन-सम्बन्धी इच्छाओं की पूर्ति तथा शरीर का स्वस्थ निर्वाह और मानसिक शान्ति प्राप्त करना है। सामाजिक दृष्टिकोण से विवाह का महत्त्व बच्चों को जन्म देना और तद्द्वारा समाज की निरन्तरता को कायम रखना है। इसीलिये विवाह नामक संस्था किसी समाज का अंग है, ऐसा कोई भी

उदाहरण दुनिया के किसी भी कोने से अनेक छानबीन तथा अन्वेषण के बाद भी मिल न सका, यद्यपि विवाह का स्वरूप या विवाह सम्बन्ध स्थापित करने के तरीके में पर्याप्त भिन्नता विभिन्न समाजों में पायी जाती है।